Ex.P.-66

कथन – मदन कुमार मित्तल

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मदन कुमार मित्तल पिता स्व. बनारसी दास मित्तल
उम्र	–	48 वर्ष
पता	–	पत्थलगांव रोड़, लैलुंगा, जिला रायगढ़ (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	94252–50234
व्यवसाय	–	संचालक, हनुमान राईस मिल, लैलुंगा, रायगढ़ (छ0ग0)

—00—

मैं मदन कुमार मित्तल पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं हनुमान राईस मिल, लैलुंगा का संचालक हूं। मेरे राईस मिल की क्षमता 02 टन धान मिलिंग प्रति घंटा की है। वर्ष 2013–14 में 16 हजार क्विंटल धान का अनुबंध किया गया था जिसमें मेरे द्वारा 12 हजार क्विंटल धान मार्कफेड से उठाया गया था। जिसका कस्टम मिलिंग कर 8,160 क्विंटल उसना चावल नान में जमा किया था। वर्ष 2014–15 में 16 हजार क्विंटल धान का अनुबंध किया गया है जिसमें से अभी तक मेरे द्वारा 2700 क्विंटल अरवा चावल एफ.सी.आई. में जमा कराया गया है। इस वर्ष नागरिक आपूर्ति निगम में चावल लेना शुरू नहीं किये है। लैलुंगा में वर्तमान क्वालिटी इंस्पेक्टर प्रसन्ना मैडम है तथा रायगढ़ जिला प्रबंधक महेश लाल देवांगन है। लैलुंगा नान के गोदामों में स्पेश की समस्या बनी रहती है। स्पेश की समस्या, क्वालिटी में समझौता तथा चावल अनलोडिंग एवं स्टेकिंग की समस्याओं से बचने के लिये हमारे द्वारा नान के अधिकारियों/कर्मचारियों को 08रू. प्रति क्विंटल की दर से रकम कलेक्शन कर देना होता है। अगर हमारे द्वारा उक्त रकम कलेक्शन कर नहीं दिया जाता है तो नान के अधिकारियों के द्वारा स्पेश न देना, चावल को अमानक बताकर वापस कर देना आदि तरीकों से परेशान किया जाता है। अतः हमें असुविधाओं से बचने के लिये न चाहते हुए भी उक्त रकम कलेक्शन कर नान के अधिकारियों को देना पड़ता है। यहीं मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ